

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/164-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)
(अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा खिहल) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय, सामाजिक वानिकी प्रभाग, 1176119 संख्या दिनांक 10/08/2022

ॐ
स्वा

ग्रामीण
क्षेत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी . वर्षाधिक वृद्धावधि

पत्नीः/पुत्र/पुत्री

kallash nath
agarwal(m/s
paloma reality
LLP)

प्रिजाता:

काननपुर नगर

दाहशीलः

KANPLUR SADAR

पुस्तकालयः

काजपुर संदर

आज्ञा:

साम्बन्धित

सत्यमेव जयते

रायसः स्वभाः

16/16, civil lines,
Pratapgarh

आवः

16/18, civil lines,
Pratapnagar

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 10/08/2022 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

[illegible]

संख्या:

उपयुक्त वृक्ष श्रीabhishek agarwal पुत्र श्री kaishik nath agarwal(m/s paloma reality LLP) के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या plot no- 7/98 & 7/99 रकबा 0.05 जिला कानपुर नगर तहसील KANPUR SADAR परगना कानपुर सदर ग्राम सभा plot no- 7/98 & 7/99, Block nagar थाना सम्बन्धित गांव plot no-7/98 & 7/99, Block nagar डाक सम्बन्धित में स्थित है ।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोथे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पोथे 1 0 0 0/- र० सहस्रम प्राधिकारी को सदमा से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पोथों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी । कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहरों का दैनिक परीक्षणिक :
2. जिस दिन से कटान शुरू होगी , अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातल प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातल पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या 838 के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके ।
3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करों के आवेदक को पातल अनुज्ञा की प्रति हरतन्त करार्य एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें ।
4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रोज कार्यालय में जमा कराये ।
5. इस पातल अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातल अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 1176119 दिनांक 10/08/2022 से 10/09/2022 तक विधिमन्य होगा ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर

संख्या. 1176119 दिनांक: 10/08/2022 पन्नांक : 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी /कानपुर नगर
2. वन क्षेत्राधिकारी कानपुर ...जिला कानपुर नगर
3. थानाध्यक्ष सम्बन्धित जिला कानपुर नगर
4. उपजिलाधिकारी KANPUR SADAR...जिला कानपुर नगर
5. प्रभागी सुरक्षा बल कानपुर नगर...जिला कानपुर नगर

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर प्रभाग
कानपुर नगर



वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2 488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)

(अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी
प्रभाग, 1176119 संख्या दिनांक 10/08/2022

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी gbnishkek agarwal पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री: कालेश नाथ अग्रवाल (म/स paloma reality LLP) जिला: कानपुर नगर

तहसील: KANPUR SADAR परगना: कानपुर सदर थाना: सम्बन्धित

डाक: सम्बन्धित ग्राम सभा: 16/16, civil lines, pratapur sarsai गांव: 16/16, civil lines, pratapur sarsai

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 10/08/2022 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	प्राप्ति का नाम	वृक्षों के प्रकार	वृक्षों के गिराने का कारण	वृक्षों के गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि
1 आम	190	निर्माण कार्य में बाधक	190 मेरे द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गयी। मौके पर 01 नीम व 04 आम के वृक्ष हरे खड़े हैं जो निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वृक्षों पर स्वामित्व भंडार एनोमा रिचल्टी एनोएनोनी का है। अतः उचित निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों को पातल करने की संस्तुति की जाती है।	200 210 250
2 आम	200	निर्माण कार्य में बाधक		
3 आम	210	निर्माण कार्य में बाधक		
4 आम	250	निर्माण कार्य में बाधक		

अपसुबल वृक्ष श्रीabhishek agarwal पुत्र श्री kailash hath agarwal(m/s paloma reality LLP) के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या plot no- 7/98 & 7/99 रकबा 0.05 जिला कानपुर नगर तहसील KANPUR SADAR परगना कानपुर सदर ग्राम सभा plot no-7/98 & 7/99, tilak nagar थाना सम्बन्धित गांव plot no-7/98 & 7/99, tilak nagar डाक सम्बन्धित में स्थित है।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पौधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए आक घर बचत मास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहरों का दैनिक पारिश्रमिक ;
2. जिस दिन से कटान शुरू होगी, अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा तबकि शासनादेश संख्या 438 के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।
3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करों के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें।
4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रैंज कार्यालय में जमा कराये।
5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो कि शासनादेश संख्या संख्या: 1176119 दिनांक: 10/08/2022 पंचांक : 2026
6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 10/08/2022 से 10/09/2022 तक विधिमान्य होगा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर

संख्या: 1176119 दिनांक: 10/08/2022 पंचांक : 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी / कानपुर नगर
2. वन क्षेत्राधिकारी कानपुर ...जिला कानपुर नगर
3. थानाध्यक्ष सम्बन्धित जिला कानपुर नगर
4. उपजिलाधिकारी KANPUR SADAR...जिला कानपुर नगर
5. प्रभारी सुरक्षा बल कानपुर नगर...जिला कानपुर नगर

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर
प्रभागीय निदेशक
कानपुर नगर

तारीख
Date

लेनदेन का विवरण
Particulars of Transaction

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकिया
Balance

सं. ह.
Initials

NSC VIII Issue

SOLID & NAME : 20600100:Kanpur H.O
Account No : 020045975993
Amount Deposited (in Rs.) : 5000
(Rupees Five Thousand)
Mode Of Operation : SELF
Date of Investment (value date) : 04-08-2022
Date of Maturity : 04-08-2027
Amount of Maturity (in Rs) : 6927
(Rupees Six Thousand Nine Hundred Forty Seven)
Name & Father Name of investor 1 : ABHISHEK AGARWAL
CIF - 623500837
Address of Investor 1 : H.N.-13/16 CIVIL LINES PRAYAGPUR SA
Name of Investor 2/Guardian Name :
CIF NO. of Investor-2/ Guardian :
Address of Investor 2/Guardian :
City/State/Pin Code : KANPUR NAGAR/UTTAR PRADESH/208001
Nomination : Yes
Through Agent : No

Dated Signature Of Authorized
Designation Stamp

NSC/KVP NSC
KANPUR-208001

2

MEDIA POST

TOUCHING THE HEART OF INDIA
Reach millions, advertise on postal stationery



Speed Post
PASSPORT
Service

Apply for passport
at a post office

तारीख
Date

लेनदेन का विवरण
Particulars of Transaction

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

सं. ह.
Initials

NSC VIII Issue

SOLID & NAME : 20800000:Kampur H.O
Account No : 020045975993
Amount Deposited (in Rs.) : 5000
(Rupees Five Thousand)
Mode Of Operation : SELF
Date of Investment (value date) : 04-08-2022
Date of Maturity : 04-08-2027
Amount of Maturity (in Rs.) : 6997
(Rupees Six Thousand Nine Hundred Forty Seven)
Name & Father Name of Investor : ASHISHEK AGARWAL
CIF NO. : 423500837
Address of Investor : B.N.-16/16 CIVIL LINES, PRATAPUR SAI
Name of Investor 2/Guardian Name :
CIF NO. of Investor-2/Guardian :
Address of Investor 2/Guardian :
City/State/Pin Code : KANPUR NAGAR/UTTAR PRADESH/208001
Nomination : Yes
Through Agent : No

Dated Signature Of Authorized
Designation Stamp

NSC/KVP ISSUE
KANPUR-208001

2

MEDIA POST

TOUCHING THE HEART OF INDIA
Reach millions, advertise on postal stationery



Speed Post
PASSPORT
Service

Apply for passport
at a post office

विषय:-

जमानत के राष्ट्रीय बचत पत्र खाता सं० 020045975993 को अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक करने के सम्बन्ध में।

संलग्नराष्ट्रीय बचत पत्र खाता सं० 020045975993 जो जमानत के रूप में लिये गये है, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक किया जाना है। अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय संविधान की धारा- 299 (1) तथा नोटीफिकेशन संख्या न्याय का विभाग उत्तर प्रदेश 215/11 एफ०डी० 71/60 दिनांक 18.01.1983 तथा नोटीफिकेशन संख्या यू०ओ०पी० 8208 जी-11 ए-11 डी(ब) नेशनल सेविंग 71/60 दिनांक 25-11-65 द्वारा परिवर्तित है के अनुसार राज्यपाल उ० प्र० के पक्ष में प्रतिभूति निरूपित अथवा अवमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

अतः उक्त के अनुसार संलग्न राष्ट्रीय बचत पत्र को अधोहस्ताक्षरी के पदनाम (प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर) बन्धक कर पत्रवाहक को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि

1207

भारतीय डाक



India Post

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

भारतीय डाक

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

कानपुर

16/12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Note--1. Transfer for Certificates has priority to an individual's association, institution, private company, or other organization.

body recalled under the Indiana Partnership Act. 1992 is prohibited.

No. 2. A Certificate purchased on behalf of a minor can be transferred only if the purchaser of the

certificates certified that the minor is alive and the transfer is for the benefit of the minor.

Note-3. Certificates will be allowed to be pledged in payment of earnest money, other than earnest money, earnest money, earnest money.

Serial No. & Date of original application for purchase of confidential information _____

Regulation No. 0204507-5993

10.

• **Estimated**

2.

Name in Black (alters)

NAME James Earl Ray SECURITY TO THE PRESIDENT OF INDIA

[illegible]

If we therefore, request you to transfer the undermentioned Post Office Savings Certificates of
 Active Society/Corporation, Govt. Company/Co-operative Society,
 which have are the holder (s) as SECURITY to the President of India/Governor

of State Reserve Bank of India/Scheduled Bank/Co-operative Societies/Co-operative Bank/Corporate Bank/

Govt. Company/Local Authorities vide declaration, at the place on whereby declare that on the transfer of the

undermentioned P. O. Savings certificate/Duplicate Certificates, the transferee (the transferee shall not be a transferee) shall be deemed to be the holder of the certificate (s) shall be

uncacheable by the pledgee when the security has been forfeited.

OF REPLICATES (MULTIPLICATE CERTIFICATES)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Serial No. of _____ Date of _____ Name of Officer _____ Registration No. _____

5045-11-00

	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Journal of Management Education 36(1)

1980

2664716-72062,0 050110

1210

THE

2014年12月

100

... ..

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Tables*
 9. *Figures*
 10. *Supplementary Materials*
 11. *Notes*
 12. *References*
 13. *Appendix*
 14. *Tables*
 15. *Figures*
 16. *Supplementary Materials*
 17. *Notes*
 18. *References*
 19. *Appendix*
 20. *Tables*
 21. *Figures*
 22. *Supplementary Materials*
 23. *Notes*
 24. *References*
 25. *Appendix*
 26. *Tables*
 27. *Figures*
 28. *Supplementary Materials*
 29. *Notes*
 30. *References*
 31. *Appendix*
 32. *Tables*
 33. *Figures*
 34. *Supplementary Materials*
 35. *Notes*
 36. *References*
 37. *Appendix*
 38. *Tables*
 39. *Figures*
 40. *Supplementary Materials*
 41. *Notes*
 42. *References*
 43. *Appendix*
 44. *Tables*
 45. *Figures*
 46. *Supplementary Materials*
 47. *Notes*
 48. *References*
 49. *Appendix*
 50. *Tables*
 51. *Figures*
 52. *Supplementary Materials*
 53. *Notes*
 54. *References*
 55. *Appendix*
 56. *Tables*
 57. *Figures*
 58. *Supplementary Materials*
 59. *Notes*
 60. *References*
 61. *Appendix*
 62. *Tables*
 63. *Figures*
 64. *Supplementary Materials*
 65. *Notes*
 66. *References*
 67. *Appendix*
 68. *Tables*
 69. *Figures*
 70. *Supplementary Materials*
 71. *Notes*
 72. *References*
 73. *Appendix*
 74. *Tables*
 75. *Figures*
 76. *Supplementary Materials*
 77. *Notes*
 78. *References*
 79. *Appendix*
 80. *Tables*
 81. *Figures*
 82. *Supplementary Materials*
 83. *Notes*
 84. *References*
 85. *Appendix*
 86. *Tables*
 87. *Figures*
 88. *Supplementary Materials*
 89. *Notes*
 90. *References*
 91. *Appendix*
 92. *Tables*
 93. *Figures*
 94. *Supplementary Materials*
 95. *Notes*
 96. *References*
 97. *Appendix*
 98. *Tables*
 99. *Figures*
 100. *Supplementary Materials*
 101. *Notes*
 102. *References*
 103. *Appendix*
 104. *Tables*
 105. *Figures*
 106. *Supplementary Materials*
 107. *Notes*
 108. *References*
 109. *Appendix*
 110. *Tables*
 111. *Figures*
 112. *Supplementary Materials*
 113. *Notes*
 114. *References*
 115. *Appendix*
 116. *Tables*
 117. *Figures*
 118. *Supplementary Materials*
 119. *Notes*
 120. *References*
 121. *Appendix*
 122. *Tables*
 123. *Figures*
 124. *Supplementary Materials*
 125. *Notes*
 126. *References*
 127. *Appendix*
 128. *Tables*
 129. *Figures*
 130. *Supplementary Materials*
 131. *Notes*
 132. *References*
 133. *Appendix*
 134. *Tables*
 135. *Figures*
 136. *Supplementary Materials*
 137. *Notes*
 138. *References*
 139. *Appendix*
 140. *Tables*
 141. *Figures*
 142. *Supplementary Materials*
 143. *Notes*
 144. *References*
 145. *Appendix*
 146. *Tables*
 147. *Figures*
 148. *Supplementary Materials*
 149. *Notes*
 150. *References*
 151. *Appendix*
 152. *Tables*
 153. *Figures*
 154. *Supplementary Materials*
 155. *Notes*
 156. *References*
 157. *Appendix*
 158. *Tables*
 159. *Figures*
 160. *Supplementary Materials*
 161. *Notes*
 162. *References*
 163. *Appendix*
 164. *Tables*
 165. *Figures*
 166. *Supplementary Materials*
 167. *Notes*
 168. *References*
 169. *Appendix*
 170. *Tables*
 171. *Figures*
 172. *Supplementary Materials*
 173. *Notes*
 174. *References*
 175. *Appendix*
 176. *Tables*
 177. *Figures*
 178. *Supplementary Materials*
 179. *Notes*
 180. *References*
 181. *Appendix*
 182. *Tables*
 183. *Figures*
 184. *Supplementary Materials*
 185. *Notes*
 186. *References*
 187. *Appendix*
 188. *Tables*
 189. *Figures*
 190. *Supplementary Materials*
 191. *Notes*
 192. *References*
 193. *Appendix*
 194. *Tables*
 195. *Figures*
 196. *Supplementary Materials*
 197. *Notes*
 198. *References*
 199. *Appendix*
 200. *Tables*
 201. *Figures*
 202. *Supplementary Materials*
 203. *Notes*
 204. *References*
 205. *Appendix*
 206. *Tables*
 207. *Figures*
 208. *Supplementary Materials*
 209. *Notes*
 210. *References*
 211. *Appendix*
 212. *Tables*
 213. *Figures*
 214. *Supplementary Materials*
 215. *Notes*
 216. *References*
 217. *Appendix*
 218. *Tables*
 219. *Figures*
 220. *Supplementary Materials*
 221. *Notes*
 222. *References*
 223. *Appendix*
 224. *Tables*
 225. *Figures*
 226. *Supplementary Materials*
 227. *Notes*
 228. *References*
 229. *Appendix*
 230. *Tables*
 231. *Figures*
 232. *Supplementary Materials*
 233. *Notes*
 234. *References*
 235. *Appendix*
 236. *Tables*
 237. *Figures*
 238. *Supplementary Materials*
 239. *Notes*
 240. *References*
 241. *Appendix*
 242. *Tables*
 243. *Figures*
 244. *Supplementary Materials*
 245. *Notes*
 246. *References*
 247. *Appendix*
 248. *Tables*
 249. *Figures*
 250. *Supplementary Materials*
 251. *Notes*
 252. *References*
 25

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

- 1. J. H. Van der Linde, *Die Geschiedenis van die Kaapkolonie*, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595, 3600, 3605, 3610, 3615, 3620, 3625, 3630, 3635, 3640, 3645, 3650, 3655, 3660, 3665, 3670, 3675, 3680, 3685, 3690, 3695, 3700, 3705, 3710, 3715, 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3750, 3755, 3760, 3765, 3770, 3775, 3780, 3785, 3790, 3795, 3800, 3805, 3810, 3815, 3820, 3825, 3830, 3835, 3840, 3845, 3850, 3855, 3860, 3865, 3870, 3875, 3880, 3885, 3890, 3895, 3900, 3905, 3910, 3915, 3920, 3925, 3930, 3935, 3940, 3945, 3950, 3955, 3960, 3965, 3970, 3975, 3980, 3985, 3990, 3995, 4000, 4005, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4035, 4040, 4045, 4050, 4055, 4060, 4065, 4070, 4075, 4080, 4085, 4090, 4095, 4100, 4105, 4110, 4115, 4120, 4125, 4130, 4135, 4140, 4145, 4150, 4155, 4160, 4165, 4170, 4175, 4180, 4185, 4190, 4195, 4200, 4205, 4210, 4215, 4220, 4225, 4230, 4235, 4240, 4245, 4250, 4255, 4260, 4265, 4270, 4275, 4280, 4285, 4290, 4295, 4300, 4305, 4310, 4315, 4320, 4325, 4330, 4335, 4340, 4345, 4350, 4355, 4360, 4365, 4370, 4375, 4380, 4385, 4390, 4395, 4400, 4405, 4410, 4415, 4420, 4425, 4430, 4435, 4440, 4445, 4450, 4455, 4460, 4465, 4470, 4475, 4480, 4485, 4490, 4495, 4500, 4505, 4510, 4515, 4520, 4525, 4530, 4535, 4540, 4545, 4550, 4555, 4560, 4565, 4570, 4575, 4580, 4585, 4590, 4595, 4600, 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635, 4640, 4645, 4650, 4655, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685, 4690, 4695, 4700, 4705, 4710, 4715, 4720, 4725, 4730, 4735, 4740, 4745, 4750, 4755, 4760, 4765, 4770, 4775, 4780, 4785, 4790, 4795, 4800, 4805, 4810, 4815, 4820, 4825, 4830, 4835, 4840, 4845, 4850, 4855, 4860, 4865, 4870, 4875, 4880, 4885, 4890, 4895, 4900, 4905, 4910, 4915, 4920, 4925, 4930, 4935, 4940, 4945, 4950, 4955, 4960, 4965, 4970, 4975, 4980, 4985, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030, 5035, 5040, 5045, 5050, 5055, 5060, 5065, 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5095, 5100, 5105, 5110, 5115, 5120, 5125, 5130, 5135, 5140, 5145, 5150, 5155, 5160, 5165, 5170, 5175, 5180, 5185, 5190, 5195, 5200, 5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230,

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE EFFECTS OF THE 1970-1971 WINTER ON THE WINTER WHEAT CROPS IN THE NORTH CENTRAL STATES" and the author's name "J. H. HARRIS".

2. The second part of the document is a table of contents. It lists the chapters and their corresponding page numbers:

Chapter I. Introduction	1
Chapter II. Materials and Methods	10
Chapter III. Results and Discussion	20
Chapter IV. Conclusions	30
Chapter V. Summary	35
Chapter VI. References	40
Chapter VII. Appendix	45
Chapter VIII. Index	50

3. The third part of the document is the main body of the text, which is divided into eight chapters. Chapter I is the Introduction, Chapter II is Materials and Methods, Chapter III is Results and Discussion, Chapter IV is Conclusions, Chapter V is Summary, Chapter VI is References, Chapter VII is Appendix, and Chapter VIII is Index.

4. The fourth part of the document is a list of references. It contains a list of books and articles that were consulted during the research.

5. The fifth part of the document is an appendix. It contains a list of tables and figures that were used in the research.

6. The sixth part of the document is an index. It contains a list of words and phrases that are used in the document, along with their corresponding page numbers.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

1. J. H. Van Veen, *The History of the Netherlands*, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578,

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES M. SMITH".

2. The second part of the document is a table of contents. It lists the chapters and their corresponding page numbers.

3. The third part of the document is the first chapter, titled "THE DISCOVERY OF AMERICA". It describes the early exploration of the continent by Christopher Columbus and other European navigators.

4. The fourth part of the document is the second chapter, titled "THE SETTLEMENT OF AMERICA". It discusses the early colonial settlements and the challenges faced by the settlers.

5. The fifth part of the document is the third chapter, titled "THE REVOLUTIONARY WAR". It covers the events leading up to the war and the battle of independence.

6. The sixth part of the document is the fourth chapter, titled "THE CONSTITUTION". It explains the formation of the federal government and the principles of the Constitution.

7. The seventh part of the document is the fifth chapter, titled "THE WESTERN EXPANSION". It describes the westward movement of the population and the acquisition of new territories.

8. The eighth part of the document is the sixth chapter, titled "THE CIVIL WAR". It details the conflict between the Union and the Confederacy and its impact on the nation.

9. The ninth part of the document is the seventh chapter, titled "THE RECONSTRUCTION". It discusses the efforts to rebuild the South and the challenges of integrating freed slaves into society.

10. The tenth part of the document is the eighth chapter, titled "THE MODERN UNITED STATES". It covers the period from the end of the Civil War to the present day, including the Progressive Era, the Great Depression, and World War II.

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Figure 1*
 10. *Figure 2*
 11. *Figure 3*
 12. *Figure 4*
 13. *Figure 5*
 14. *Figure 6*
 15. *Figure 7*
 16. *Figure 8*
 17. *Figure 9*
 18. *Figure 10*
 19. *Figure 11*
 20. *Figure 12*
 21. *Figure 13*
 22. *Figure 14*
 23. *Figure 15*
 24. *Figure 16*
 25. *Figure 17*
 26. *Figure 18*
 27. *Figure 19*
 28. *Figure 20*
 29. *Figure 21*
 30. *Figure 22*
 31. *Figure 23*
 32. *Figure 24*
 33. *Figure 25*
 34. *Figure 26*
 35. *Figure 27*
 36. *Figure 28*
 37. *Figure 29*
 38. *Figure 30*
 39. *Figure 31*
 40. *Figure 32*
 41. *Figure 33*
 42. *Figure 34*
 43. *Figure 35*
 44. *Figure 36*
 45. *Figure 37*
 46. *Figure 38*
 47. *Figure 39*
 48. *Figure 40*
 49. *Figure 41*
 50. *Figure 42*
 51. *Figure 43*
 52. *Figure 44*
 53. *Figure 45*
 54. *Figure 46*
 55. *Figure 47*
 56. *Figure 48*
 57. *Figure 49*
 58. *Figure 50*
 59. *Figure 51*
 60. *Figure 52*
 61. *Figure 53*
 62. *Figure 54*
 63. *Figure 55*
 64. *Figure 56*
 65. *Figure 57*
 66. *Figure 58*
 67. *Figure 59*
 68. *Figure 60*
 69. *Figure 61*
 70. *Figure 62*
 71. *Figure 63*
 72. *Figure 64*
 73. *Figure 65*
 74. *Figure 66*
 75. *Figure 67*
 76. *Figure 68*
 77. *Figure 69*
 78. *Figure 70*
 79. *Figure 71*
 80. *Figure 72*
 81. *Figure 73*
 82. *Figure 74*
 83. *Figure 75*
 84. *Figure 76*
 85. *Figure 77*
 86. *Figure 78*
 87. *Figure 79*
 88. *Figure 80*
 89. *Figure 81*
 90. *Figure 82*
 91. *Figure 83*
 92. *Figure 84*
 93. *Figure 85*
 94. *Figure 86*
 95. *Figure 87*
 96. *Figure 88*
 97. *Figure 89*
 98. *Figure 90*
 99. *Figure 91*
 100. *Figure 92*
 101. *Figure 93*
 102. *Figure 94*
 103. *Figure 95*
 104. *Figure 96*
 105. *Figure 97*
 106. *Figure 98*
 107. *Figure 99*
 108. *Figure 100*
 109. *Figure 101*
 110. *Figure 102*
 111. *Figure 103*
 112. *Figure 104*
 113. *Figure 105*
 114. *Figure 106*
 115. *Figure 107*
 116. *Figure 108*
 117. *Figure 109*
 118. *Figure 110*
 119. *Figure 111*
 120. *Figure 112*
 121. *Figure 113*
 122. *Figure 114*
 123. *Figure 115*
 124. *Figure 116*
 125. *Figure 117*
 126. *Figure 118*
 127. *Figure 119*
 128. *Figure 120*
 129. *Figure 121*
 130. *Figure 122*
 131. *Figure 123*
 132. *Figure 124*
 133. *Figure 125*
 134. *Figure 126*
 135. *Figure 127*
 136. *Figure 128*
 137. *Figure 129*
 138. *Figure 130*
 139. *Figure 131*
 140. *Figure 132*
 141. *Figure 133*
 142. *Figure 134*
 143. *Figure 135*
 144. *Figure 136*
 145. *Figure 137*
 146. *Figure 138*
 147. *Figure 139*
 148. *Figure 140*
 149. *Figure 141*
 150. *Figure 142*
 151. *Figure 143*
 152. *Figure 144*
 153. *Figure 145*
 154. *Figure 146*
 155. *Figure 147*
 156. *Figure 148*
 157. *Figure 149*
 158. *Figure 150*
 159. *Figure 151*
 160. *Figure 152*
 161. *Figure 153*
 162. *Figure 154*
 163. *Figure 155*
 164. *Figure 156*
 165. *Figure 157*
 166. *Figure 158*
 167. *Figure 159*
 168. *Figure 160*
 169. *Figure 161*
 170. *Figure 162*
 171. *Figure 163*
 172. *Figure 164*
 173. *Figure 165*
 174. *Figure 166*
 175. *Figure 167*
 176. *Figure 168*
 177. *Figure 169*
 178. *Figure 170*
 179. *Figure 171*
 180. *Figure 172*
 181. *Figure 173*
 182. *Figure 174*
 183. *Figure 175*
 184. *Figure 176*
 185. *Figure 177*
 186. *Figure 178*
 187. *Figure 179*
 188. *Figure 180*
 189. *Figure 181*
 190. *Figure 182*
 191. *Figure 183*
 192. *Figure 184*
 193. *Figure 185*
 194. *Figure 186*
 195. *Figure 187*
 196. *Figure 188*
 197. *Figure 189*
 198. *Figure 190*
 199. *Figure 191*
 200. *Figure 192*
 201. *Figure 193*
 202. *Figure 194*
 203. *Figure 195*
 204. *Figure 196*
 205. *Figure 197*
 206. *Figure 198*
 207. *Figure 199*
 208. *Figure 200*
 209. *Figure 201*
 210. *Figure 202*
 211. *Figure 203*
 212. *Figure 204*
 213. *Figure 205*
 214. *Figure 206*
 215. *Figure 207*
 216. *Figure 208*
 217. *Figure 209*

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

7

Z

Serial No. of Registration

Yours faithfully,

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

Account No. : 5000

Amount Deposited (in Rs.)

(Rupees Five Thousand)

Mode of Operation

Date of Investment (Value Date)

Date of Maturity

Amount of Maturity (in Rs.)

(Rupees Six Thousand Nine Hundred Forty Seven)

Name & Father Name of Investor

Address of Investor

Name of Investor 2/Guardian Name

CIF NO. of Investor 2/Guardian

Address of Investor 2/Guardian

City/State/Pin Code

Nomination

Through Agent

Dated Signature of Authorized

Designation Stamp

15/08/22

Speed Post

PASSPORT

Service

Apply for passport

at a post office

3

MEDIA POST

TOUCHING THE HEART OF INDIA

Reach millions; advertise on postal stationery.

2

प्रधान पोस्ट मास्टर,
बेड़ा चौराहा, कानपुर

विषय:-

जमानत के राष्ट्रीय बचत पत्र खाता सं० 020045975993 को अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक करने के सम्बन्ध में।

संलग्नराष्ट्रीय बचत पत्र खाता सं० 020045975993 जो जमानत के रूप में लिये गये है, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक किया जाना है। अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय संविधान की धारा- 299 (1) तथा नोटिफिकेशन संख्या न्याय का दिमाग उत्तर प्रदेश 215/11 एफ०डी० 71/60 दिनांक 18.01.1963 तथा नोटिफिकेशन संख्या यू०ओ०पी० 8208 जी-11 ए-11 डी(ब) नेशनल सेविंग 71/60 दिनांक 25-11-65 द्वारा परिवर्तित है के अनुसार राज्यपाल उ० प्र० के पक्ष में प्रतिभूति निरूपित अथवा अवमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

अतः उक्त के अनुसार संलग्न राष्ट्रीय बचत पत्र को अधोहस्ताक्षरी के पदनाम (प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर) बन्धक कर पत्रवाहक को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

कानपुर

भारत सरकार
भारतीय डाक विभाग



डाक जीवन बीमा Postal Life Insurance

जीवन सुरक्षा, समृद्धि सुनिश्चितता
Ensuring Lives, Ensuring Prosperity

व्यक्तिगत
गोपनीयता
में सूट
सुविधा
सुविधा
मिनिमम छूट
में प्रकार में
ने सुविधा



आपकी
सुरक्षा
और समृद्धि
हमारा गौरव

अर्द्धसरकारी लोगों
खास बीमा योजना

India Post-Sabka Dost



CBS

TD/NSC/KVP PASSBOOK


DEPARTMENT OF POSTS, INDIA


POST OFFICE	K.P.S.O
SCHEME	N.S.C
ACCOUNT NO.	020045975993

visit us - www.indiapost.gov.in



CONFIDENTIAL





TEN
RUPEES
RS. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AE 024404

समक्ष प्राविधिक निदेशक सामाजिक वानिकी, प्रभाग, कानपुर

नियम:- प्लेट संख्या 7/98 एतम 7/99, तिलक नगर, कागपुर में अवरोधक पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में।

हलफनामा दिनेजबिबि महेश चन्द जैन (मो 9839030535) पुत्र स्व 0 बी 0 डी 0 जैन, निवासी 55/बी-2 कैन्ट, कानपुर का हूँ और सशपथ बयान करता हूँ कि:-

1. यहकि उक्त विषयक प्लेट संख्या 7/98 एतम 7/99 तिलक नगर, कागपुर मेरास गलोगा रियल्टी एल0एल0पी0 के नाग से द्वारा शपथकर्ता पार्टनर गहेश चन्द जैन पुत्र स्व 0 बी 0 डी 0 जैन, निवासी 55/बी-2 कैन्ट, कानपुर के नाम से दिनांक 18.08.2021 को जरिए रजिस्टर्ड बैनामा कय की गयी है।
2. यहकि उपरोक्त मेसर्स पलोमा रियल्टी एल0एल0पी0 में शपथकर्ता के अतिरिक्त श्री अभिषेक अग्रवाल, (मो 9839111004) पुत्र श्री कैलाश नाथ अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 16/16, सिविल लाईन्स, प्रतापपुर सरसाई, कानपुर नगर भी उक्त कम्पनी में पार्टनर हूँ।
3. यहकि उक्त दोनों प्लेटों पर निर्माण कार्य में खड़े पेड़ अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं जिसके लिए श्री अभिषेक अग्रवाल द्वारा आपके विभाग में पेड़ों की कटाई हेतु अनुमति देने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. यहकि उक्त अवरोधक पेड़ों की कटाई की अनुमति श्री अभिषेक अग्रवाल को प्रदान कर दी जाए इसमें मेरी पूर्ण सहमति है और गुझे कोई आपत्ति नहीं है।

नियम:- मैं उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ तरीक करता हूँ कि शपथपत्र की धारा-1 से लगायत-4 मेरे निजी जानकारी के अनुसार सन रात्र व सही है। कुछ धियाया नहीं गया है ईस्तर मेरी मदद करे।

दिनांक 03.08.2022 को कागपुर कचेहरी में की गई।



Notarized by Shri...
Notary
Notarized by Shri...
Notary

शपथकर्ता

शपथकर्ता

24.08.2022 को पूरा हो गया है। U.D. नाम 2015 का है। हमारा ज.ओ.डी. में आने का कारण नगरा पोर्टल पर कुछ शर्तों के साथ प्री-एपूट हो गया था और विशेष रूप से सरकार की जो नई नीति उसमें मेंट्री भी 500 मीटर की सीमा के अन्तर्गत है। अतएव दोनों परिस्थिति में हम U.O.D. के हकदार हैं।

प्रमुख सचिव, आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग का यह एक प्रसंशनीय एवम् अनुकरणीय कदम था कि इस प्रकरण पर उन्होंने एक कमेटी गठित कर उपरोक्त तथ्यों का सत्यापन करवाया तथा आख्या कानपुर व लखनऊ विभाजित अधिकरण से मांगी कि जो आवेदन दोनों स्कीमों दिनांक 04.03.2015 व 24.08.2022 के स्वीकृति योग्य है, उनका विवरण भी सफलतापूर्वक कराया जाए। परन्तु आज तक विवरण पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है जिससे अधिक कार्यवाही अभी भी लम्बित है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रदेश की प्रगति के हित में जो प्रकरण 24.08.2022 की विधि से पहले निवर्तमान ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2015 के अन्तर्गत स्वीकृति योग्य थे, एवम् ओल्ड कंडेक्ट और नई ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अन्तर्गत 500 मीटर मेंट्री लाईन के अन्तर आने के कारण ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति के अन्तर स्वीकार योग्य है, उनको न रोक जाये ताकि उत्तर प्रदेश का विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समस्या, धन व प्रगति में रुकावट न हो जो कि वर्तमान में एक प्रसंशनीय कार्य होगा। इस तारतम्य में प्रमुख सचिव, आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित प्रमाण प्रेषित किए जा चुके हैं जिस पर सरकारत्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पारित कर प्रार्थी को अवगति कराने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर

पल्लोमा रियल्टी एलएलपी

60/52, नयागज, कानपुर-208001.

प्रतिलिपि:-1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर स्वरित कार्यवाही कराते हुए हमें निर्देश समस्या का शीघ्रतया निवारण करवाने की कृपा करें।

04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

CC: 04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

04/08/2022 16:05:19 24/08/2022

विषय: गृहण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवं 13 खलासी लार्डिंग आवारा संख्या 7/88, 7/99
विलक नगर, कांगपुर पर प्रस्तावित गुप्त हाउसिंग परियोजना की T.O.D. पालिसी के
अन्तर्गत स्वीकृति के संबंध में।

गहोदय,

आपके सौजन्य से उत्तर प्रदेश में अपराधमुक्त, गैरमुक्त युवाओं एवं समराज्य की
स्थापना करने के लिए कोटिश: धन्यवाद। प्रदेश का हर जनमानस अपने को गौरवमन्वित महसूस
कर रहा है। उद्यमी एवम व्यापारी अपने व्यापार एवं उद्योग का विस्तार अब 500पी० गे० ही
स्थगित करना चाहता है।

प्राची ने गुप्त हाउसिंग परियोजना के अनुमोदन हेतु U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से
आवेदन किया था। कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जॉन में होने का
प्रमाणपत्र दिनांक 10.08.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू
T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए 500
केरिड रूपमा निवेश करने हेतु एम0ओ0यू0 स्वीकृत हो गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि "टी.ओ.डी.
जोन्स के अन्तर्गत आने के कारण प्राची ने "टी.ओ.डी. नीति के अनुसार मानचित्र के 0.डी0ए0 में
समस्त कार्यवाही एक साल तक पूरी करने के उपरान्त 13.05.2022 को सम्मिलित कर दिया था
जो कि 13 बार संशोधन होने के बाद, पुनः दो माह के उपरान्त दिनांक 16.07.2022 को
आनलाईन प्री-एप्रूवल हुआ है। यहकि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 NOC's सरकारी
निकायों विभागों से मांगी गयी थी जिसमें से सभी उपादातों की प्राप्ति हो गयी है और शेष के
लिए प्रयासरत है। परन्तु इसी गैर उल्लेख प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
द्वारा जारी "लेटर प्रदेश ट्रान्जिट ऑरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 जारी
की गयी जिसमें शहर की प्रगति और Development के उद्देश्य से टी.ओ.डी. नीति लागू रखी
गयी और 30 फीसदी कांशियल सी बचाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गयी कि वह मेट्रो
से 500 मीटर की परिधि के अन्दर होनी चाहिए। उक्त नीति के प्रस्तर 3.2.2 में निर्धारित
प्रविधान अंकित कर दिए जाने के कारण मेरे गैर मानचित्र के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थगित हो
गयी है:-

"टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवं टी.ओ.डी. योजना की
स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन्स के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन
अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

हमें NOC ऑनलाईन जमा करना था और आपने चरण/स्टार पर जाना था, यह जानकर
जाश्चर्य हुआ कि टी.ओ.डी. नीतियों के सम्बन्ध में जोनल विनियमन पुनर्विचार किया जा रहा है।
प्रस्तर 3.2.2 के कारण उसी बीच सारी कार्यवाही स्थगित हो गयी। इस दिशा में हमने अपने
असुर्य समय के साथ-साथ करोड़ों रुपये अन्य मदों पर खर्च कर दिये हैं। नई नीति में भी
हमारी भूमि 500 मीटर के अन्तर्गत आती है जो कि 0.5 मेट्रो लार्डिंग से सिर्फ 200 मीटर के
अन्तर है, स्वीकारयोग्य है।

उपरोक्त शरणादेश/नीति जारी होने के पश्चात् हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार
कांगपुर नगर के टी.ओ.डी. जॉन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराने एवम उसे अनुमोदित
कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन कानपुर द्वारा की जा रही है।

शहरा नियोजन विभाग श्री. गोकर्ण जी को अपनी वस्तु स्थिति प्रमाण के साथ प्रस्तुत की दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 2015 में भी हमारी जमीन T.O.D. में आने के कारण नवीकरण पोर्टल पर कुछ शर्तों के साथ प्री-एप्रूव्ड हो गया था और विशेष रूप से सरकार की जो नई नीति उसमें गेटों से 500 मीटर की सीमा के अन्तर्गत है। अतएव दोनों परिस्थिति में हम T.O.D. के हकदार हैं।

प्रमुख सचिव, आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग का यह एक प्रशंसीय एवं अनुकरणीय कदम था कि इस प्रकरण पर उन्होंने एक कमेटी गठित कर उपरोक्त तथ्यों का सत्यापन करवाया तथा आख्या कानपुर व लखनऊ विकास प्राधिकरण से मॉर्गी कि जो आवेदन दिनांक 04.03.2015 व 24.08.2022 में स्वीकृति योग्य है, उनका विवरण भी उपलब्ध कराया जाए। परन्तु आज तक विवरण पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है जिससे अधिक कार्यवाही अभी भी लम्बित है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रदेश की प्रगति के हित में जो प्रकरण 24.08.2022 की तिथि से पहले निवर्तमान ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति, 2015 के अन्तर्गत स्वीकृति योग्य थे, स्वयं अलाई कर चुके थे और नई ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति, 2022 के अन्तर्गत 500 मीटर सेटबैक लाईन के अन्दर आने के कारण ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति के अन्तर्गत स्वीकार योग्य हैं, उनको भी सेवा जारी रखने का विकार सही दिशा में हो सके और अनिवार्यक समय, धन व प्रगति में रुकावट न हो, जो कि वर्तमान में एक प्रशंसीय कदम होगा। इस तारतम्य में प्रमुख सचिव, आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समन्वित प्रमाण प्रेषित किए जा चुके हैं जिस पर सकारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पारित कर प्रार्थी को अनुग्रहित करने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

संदर्भक:- संपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर

पल्लवा रियल्टी एलएलपी

60/52, नयागंज, कानपुर-208001.

प्रतिलिपि-1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

Copy 19072669800-2022-2023, City Office

महेश चन्द्र

19072669800-2022-2023

20-08-2022, 15:03/2022, 20-08

19072669800-2022-2023

19072669800-2022-2023

19072669800-2022-2023

19072669800-2022-2023

आवास एवम शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय:- भूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 खलासी लाईन आवास संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, कानपुर पर प्रस्तावित गुप हाउसिंग परियोजना की T.O.D. पॉलिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध में.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी/प्राची के गुप हाउसिंग परियोजना के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के अनुमोदन हेतु मैंने दिनांक 13.05.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन में होने का प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 94.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए लगभग 300 करोड़ रुपया निवेश करने हेतु आवेदन किया गया। मेरे द्वारा आनलाईन आवेदित भवन मानचित्र संख्या K.D.A./B.P/22-23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल से स्कटनाइज होकर प्राधिकरण स्तर पर स्वीकृति हेतु आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 जारी होने के कारण उक्त नीति के प्रस्तर 3.2.2 में निम्नोक्त प्राविधान अंकित कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानचित्र के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थगित हो गयी है:-

“टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन के जोनल डेवलपमेंट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा”

क अनुसार कानपुर नगर क टा.आ.डा. जान क जानल डवलपमन्ट प्लान तयार कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मेंट्रो रेल कार्पोरेशन कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में मेरे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रक्रिया बाधित हो जाने के कारण दीपावली के पूर्व योजना के प्रारम्भ/लॉन्च किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाक्रम निम्नवत है:-

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण
1	04.03.2015	उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नार्म्स एवम भवन उपविधि का निर्धारण किया गया।
2	18.03.2021	उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त नीति से आकर्षित होकर प्रार्थी द्वारा कानपुर नगर में टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु भूमि कंय किया गया।
3	10.06.2021	प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड को टी.ओ.डी. जोन के अन्तर्गत होने का कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रमाणपत्र/पत्र दिनांक 10.06.2021 प्राप्त किया गया।
4	13.05.2022	प्रार्थी द्वारा अपने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A./B.P/22-23/0182 आवेदित किया गया।
5	16.07.2022	आनलाईन आवेदित मानचित्र पोर्टल से प्री अप्रूवल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
6	24.08.2022	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सशोधित टी.ओ.डी. नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी. जोन के अनुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अनुमोदन होने तक मानचित्र की

पाठल क्षास पास हा युक् थ, छगपा ग साफा जाय ताक उत्तर भदस का
विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति में रुकावट
न हो और इस सम्बन्ध में अवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर

पलोमा रियलटी एलएलपी,

60 / 52, नयागंज, कानपुर-208001.

विषय:- भूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 खलासी लाईन आवास संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, कानपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध में.

महोदय,

आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराधमुक्त, भयमुक्त सुशासन एवम रामराज्य की स्थापना करने के लिए कोटिश: धन्यवाद। प्रदेश का हर जनमानस अपने को गौर्वान्वित महसूस कर रहा है। उद्यमी एवम व्यापारी अपने व्यापार एवम उद्योग के विस्तार हेतु सोचता है। उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित औद्योगिक नगरी कानपुर की अपनी एक अलग पहचान है। जिसके त्वरित विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवम यातायात के अलावा आप द्वारा अनेकों परियोजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी, MSME के माध्यम से लघु एवम मध्यम उद्योग स्थापित करवाना, मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण कर कम समय में लागू किया जाना वास्तव में सराहनीय कार्य है।

प्रार्थी ने ग्रुप हाउसिंग परियोजना के अनुमोदन हेतु दिनांक 13.08.2022 को U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन में होने का प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत मेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए लगभग 300 करोड़ रूपया निवेश करने हेतु आवेदन किया गया। मेरे द्वारा आनलाईन आवेदित भवन मानचित्र संख्या K.D.A./B.P/22-23/0182 U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल से स्कटनाइज होकर प्राधिकरण स्तर पर स्वीकृति हेतु आ गया है। परन्तु इसी मध्य उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 जारी होने के कारण उक्त नीति के प्रस्तर 3.2.2 में निम्नोक्त प्राविधान अंकित कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानचित्र के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थगित हो गयी है:-

"टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा"

उपरोक्त शासनादेश/नीति जारी होने के पश्चात् मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर नगर के टी.ओ.डी. जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन कानपुर द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में मेरे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अनुमोदन की प्रक्रिया वाधित हो जाने के कारण योजना के प्रारम्भ/लॉच किए जाने की योजना को गहरा धक्का लगा जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से आहत है। आनलाईन आवेदित ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र के सम्बन्ध में तिथिवार घटनाक्रम निम्नवत है:-

क्रम संख्या	दिनांक	विवरण
1	04.03.2015	उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा टी.ओ.डी. हेतु जोनिंग रेगुलेशन, प्लानिंग नार्म्स एवम भवन उपविधि का निर्धारण किया गया।

संख्या K.D.A./B.P/22-23/0182 आवेदित किया गया।		
5	16.07.2022	आनलाईन आवेदित मानचित्र पोर्टल से प्री अप्रूबल होकर दिनांक 16.07.2022 को प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
6	24.08.2022	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 जारी होने एवम उसके प्रस्तर संख्या 3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत टी.ओ.डी जोन के अनुसार जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुमोदन होने तक मानचित्र की स्वीकृति स्थगित है।

चूंकि उत्तर प्रदेश शासन जो संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 का शासनादेश दिनांक 24.08.2022 जारी हुआ है उसके प्रस्तर 3.2.2 टी.ओ.डी जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी जोन के जोनल डेवलपमेंट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्यरूप से अपेक्षित होगा, के कारण उत्तर प्रदेश के समस्त विचाराधीन प्रकरण अर्थात् टी.ओ.डी जोन के P.A.R. कथ के समस्त प्रगतिशील प्रकरण वाधित हो रहे हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत चूंकि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के पूर्व ही प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड को टी.ओ.डी जोन के अन्तर्गत होने का प्रमाण पत्र/पत्र दिनांक 10.06.2021 कानुन विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने के पश्चात् अपने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु ख्याति प्राप्त वास्तुविद से नियोजन कराते हुए U.P.O.B.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आनलाईन आवेदन संख्या K.D.A/B.P./22-23/0182 आवेदित कर दिया गया था जो दिनांक 16.07.2022 को आनलाईन आवेदित मानचित्र पोर्टल से प्री-अप्रूबल होकर प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित टी.ओ.डी नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 के पहले के प्रकरण जो आवेदित हो गये थे और पोर्टल द्वारा पास हो चुके थे, आज की वर्तमान स्थिति में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन C.S.A. से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है जो कि आपकी टी.ओ.डी नीति के सर्कुलर नम्बर पत्रोंक-डी/105/न0वि0/का0वि0प्रा0/2021-22 दिनांक 10.06.2021 से क्वालिफाई हो जाता है, को न रोक जाये ताकि उत्तर प्रदेश का विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति में रुकावट न हो और इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पारित किया जाए।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

(महेश चन्द्र जैन)

पार्टनर

पलोमा रियलटी एलएलपी,

60/52, नयागंज, कागपुर-208001.